भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1165

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधान योजना

†**1165. श्री सुब्रत पाठकः**

श्री मोहनभाई कल्याण जी कुंडारियाः

श्री रेबती त्रिपुराः

श्रीमती संध्या रायः

श्री सेल्वम जी:

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री विजय कुमार दुबेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर प्रशासन के साथ लंबित विवादों के कारण बड़ी संख्या में छोटे करदाताओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष से लंबित ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने सबका विश्वास-विरासत विवाद समाधन योजना, 2019 शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(घ) इस योजना में शामिल मुख्य घटकों का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना के बाद से राज्य-वार कितने विवादों का समाधन किया गया है;

(ङ) इस योजना के लिए छोटे करदाताओं की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) 3.75 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी-पूर्व उत्पाद शुल्क और सेवा कर मुकदमेबाजी के समाधन के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) तथा (ख): जी, हाँ। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के लंबित मामलों की कुल संख्या इस प्रकार है

वर्ष	मामलों की संख्या
2017-18	177604
2018-19	166869
2019-20 (अक्टूबर तक)	168114

(ग): जी, हाँ। सबका विश्वास (लीगेसी विवाद समाधान) स्कीम, 2019 का उद्देश्य, लीगेसी टैक्सेस जैसे कि सेवाकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिनको माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में विलीन कर दिया गया है, के अंतर्गत विवादित बैगेज के क्लीयरिंग में छोटे-मोटे करदाताओं समेत सभी करदाताओं की मदद करना है। यह स्कीम दिनांक 01.09.2019 से 31.12.2019 तक के लिए शुरू की गई है।

(घ) तथा (ङ): इस योजना के मुख्य घटक विवाद समाधान और सर्वक्षमा (एम्नेस्टी) हैं। दिनांक 18.11.2019 तक छोटे-मोटे करदाताओं समेत सभी करदाताओं से प्राप्त आवेदनों और समाधान किए गए विवादों की संख्या इस प्रकार हैः

प्राप्त आवेदन		**स्वीकृत आवेदन**	
संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
26142	16007.01	2828	162.15

*(इस योजना के आंकड़ों का संचयन राज्य-वार नहीं किया जाता है।)

(च): सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के मामलों में विभाग के द्वारा अपील को दायर किये जाने की वित्तीय सीमा में बढ़ोतरी कर दी है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की दो बेंचों और दिल्ली, गुजरात, मुम्बई और मद्रास के उच्च न्यायालयों की प्रत्येक में से एक बेंच को कराधान से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए गठित कर दिया गया है। इससे लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान में मदद मिलेगी।

*****